मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 322/410/एक(तीन)/72. भोपाल, दिनांक 30 मई, 1972.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश।

विषय :- 55 वर्ष की आयु पूरी करने पर शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली का मूल्यांकन।

=×=

मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अधिनियम, 1972, 21-4-72 को प्रवृत्त होने से शासकीय सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु अब 58 वर्ष हो गई है, इस अधिनियम के द्वारा मूलभूत नियम 56 निम्नलिखित अनुसार संशोधित किया गया है :-

"56(1) उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, चतुर्थ वर्ग के शासकीय सेवक से भिन्न शासकीय सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख वह तारीख होगी जिसको कि वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करले, परंतु सक्षम अधिकारी की मंजूरी से, वैज्ञानिक सेवा के व्यक्तियों के, तकनीकी सेवा के व्यक्तियों के तथा ऐसे किसी व्यक्ति के जो किसी क्षेत्र का विशेष या विशेषज्ञीय ज्ञान रखते हों, सेवा-काल में, उनकी शारीरिक योग्यता का एवं कार्य के लिए उनकी उपयुक्तता का ध्यान रखते हुए, 58 वर्ष की आयु के परे वृद्धि की जा सकेगी, किंतु मामूली तौर पर 60 वर्ष की आयु के परे ऐसी वृद्धि नहीं की जावेगी।

(2) चतुर्थ वर्ग के शासकीय सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख वह तारीख होगी, जिसको कि वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करले।

(3) किसी शासकीय सेवक को, उसकी 55 वर्ष की आयु हो चुकने के पश्चात् किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, तीन मास की सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले तीन मास के वेतन तथा भत्तों का भुगतान करके, लोकहित में, सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।"

2/ दिनांक 21-4-1972 को जो शासकीय सेवक 55 वर्ष की आयु के बाद सेवावृद्धि में थे या "सेवानिवृत्ति से पूर्व अवकाश" या "अस्वीकृत छुट्टी" में थे और उनकी आयु 58 वर्ष से कम थी, उन सबको 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक सेवा में रहने की पात्रता है। ऐसे व्यक्तियों को "सेवानिवृत्ति से पूर्व अवकाश" 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पहले नियमानुसार मिलेगा।

=2=

3/ प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की स्क्रीनिंग उनके 55 वर्ष की आयु पूरी होने के 6 माह पहले से ही आरम्भ की जाय और तीन महीने में समाप्त करली जाय, ताकि यदि वे सेवा में रखने के लायक न हों, तो 55 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही उन्हें तीन माह का नोटिस देकर सेवानिवृत्त किया जासके । इस संबंध में निर्णय विभाग के प्रभारी मंत्री जी द्वारा लिया जाएगा ।

4/ स्क्रीनिंग करते समय यह देखा जायगा कि शासकीय सेवक की :-

(1) ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा पर संदेह तो नहीं है,

(2) उसका काम औसत से नीचे स्तर का तो नहीं है,

(3) उसकी शारीरिक योग्यता तो कम नहीं हुई ।

इन तीन मापदण्डों में से कोई एक शर्त पूरी न होने पर शासकीय सेवक को 55 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त किया जाएगा ।

5/ तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता नहीं है । यदि किसी तृतीय श्रेणी कर्मचारी के संबंध में यह पाया जाय कि वह ऊपर बताए गए मापदंडों अनुसार सेवा में रखने के योग्य नहीं है, तो मामले का परीक्षण नियुक्ति अधिकारी करे । यदि जाँच में यह पाया जाए कि उपर्युक्त कंडिका 4 के संदर्भ में संबंधित शासकीय सेवक सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है, तो उसके विरुद्ध रुफ0 आर0 56(3) के तहत् कार्यवाही की जाएगी.

हस्ता0 मा0 सिं0 चौधरी
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन.

क्रमांक 323/419/एक(तीन)/72. भोपाल, दिनांक 30 मई, 1972.

प्रतिलिपि :-

1 - निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, इंदौर
सचिव, सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल

2 - राज्यपाल के सचिव

3 - सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
अवर सचिव, (स्थापना)/अवर सचिव(अधीक्षण)/लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल

4- मुख्य मंत्री जी/ समस्त मंत्रिगण / समस्त राज्य मंत्रिगण / उप मंत्री के निज सचिव / निज सहायक

को सूचनार्थ अग्रेषित ।

हस्ता0 मू0वि0 गर्दे
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

शर्मा/-